[2021] 11 एस. सी. आर 954

विनोद कुमार

बनाम

अमृतपाल @छोटू और हमारा।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1519)

30 नवंबर, 2021

[अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: s.300 तीसरा-अभियोजन मामला यह था कि प्रतिवादी 1 से 5-आरोपी पीड़ित-मृतक की हत्या के दोषी थे-निचली अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया-अन्य बातों के साथ-साथ दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त। 302 / 149 – उच्च न्यायालय ने यू/की दोषसिद्धि को बदल दिया s.302 से एक यू / s.304 भाग II में कहा गया है कि मृतक को लगी चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं और इसलिए, आरोपी की ओर से मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था-उच्च न्यायालय

आगे कहा गया कि आरोपी मृतक को डॉक्टर के पास ले गया जिससे पता चलता है कि सूचना देने वाले (पीड़ित के भाई) द्वारा मृतक की अपील को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था-आयोजितः शारीरिक चोटों का तथ्य और इसकी प्रकृति विधिवत स्थापित की गई थी-गैर-महत्वपूर्ण भागों पर चोटों के अलावा, दाहिनी ओर टूटी हुई पसलियां थीं और दाहिना फेफड़ा टूट गया था-यहां तक कि हवा की नली और भोजन की नली भी टूट गई थी-यकृत को चोट लगी थी-मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित मृत्यु का कारण दाहिने फेफड़े के साथ-साथ यकृत जैसे महत्वपूर्ण भागों पर चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव था और इसके परिणामस्वरूप झटका लगा था-चश्मदीद गवाह का बयान कि अभियुक्तों में से एक ने मृत व्यक्ति को पकड़ लिया था जो जमीन पर सपाट पड़ा था और कम से कम तीन आरोपी व्यक्तियों ने उस पर हमला किया-इसलिए, छाती पर चोटें जिसके परिणामस्वरूप पांच पसलियों का फ्रैक्चर हुआ और दाहिने फेफड़े का टूटना आकस्मिक या अनजाने में नहीं कहा जा सकता है-इसलिए 300 स्थापित किया गया था-एक बार अभियोजन

एस में "तीसरा" का एक हिस्सा बनाने वाले तीन अवयवों का अस्तित्व स्थापित किया। 300 , यह अप्रासंगिक है कि क्या अभियुक्त की ओर से मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा था-यहां तक कि यह ज्ञान कि उस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, "तीसरा" आकर्षित करने के लिए आवश्यक नहीं है।

- एस का खंड "तीसरा"। 300 इस मामले में लागू होता है उच्च न्यायालय ने एस को लागू करने में भारी त्रुटि की। 304 भाग 2-विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाता है।

954 विनोद कुमार बनाम। अमृतपाल @छोटू और हमारा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. इस मामले में, धारा 300 के अपवादों में से कोई भी लागू नहीं है। वह मुद्दा जिसकी जांच की जानी चाहिए

यह है कि क्या मामले को धारा 300 में "तीसरी बार" शामिल किया जाएगा। विरसा सिंह बनाम का मामला। पंजाब राज्य समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 12 और 13: " 66 ..... अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा, "तीसरा"; पहला, उसे काफी निष्पक्ष रूप से यह स्थापित करना होगा कि शारीरिक चोट मौजूद है; दूसरा, चोट की प्रकृति।

साबित किया जाना चाहिए; ये विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ जांच हैं; तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा करने का इरादा था

विशेष शारीरिक चोट, अर्थात, कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं थी, या कि किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। 99 [पैरा 16] [964-बी-एफ]

विरसा सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1958 एस. सी 4654: [1958] एस. सी. आर. 1495-पर निर्भर था।

1.2 पैराग्राफ 12 में निर्धारित पहले दो तत्वों को इस मामले में शारीरिक चोटों के तथ्य के रूप में स्थापित किया गया है और

इसकी प्रकृति विधिवत स्थापित की गई है। सवाल यह है कि क्या विशेष शारीरिक चोटों को पहुँचाने के इरादे का तीसरा तत्व मौजूद था। जैसा कि पीडब्लू2 द्वारा बताया गया है, वह मृतक के साथ थे जबरन वाहन में ले जाया गया। जब गाड़ी अधूरे रास्ते पर पहुंची तो उसे रोक दिया गया। इसके बाद आरोपी ने मृतक के फ्लैट को जमीन पर गिरा दिया। जबकि आरोपी नं. 1 पकड़ रहा था

मृतक, अभियुक्त सं। 4 और 5 ने मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। मृतक के विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद आरोपी

उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। गैर-महत्वपूर्ण भागों पर चोटों के अलावा, दाहिनी ओर 6 वीं से 10 वीं पसलियों का फ्रैक्चर था और दाहिना फेफड़ा टूट गया था। यहां तक कि हवा की नली और खाने की नली भी टूट गई थी। लीवर में चोट लगी थी। बोर्ड द्वारा प्रमाणित मृत्यु का कारण दाहिने फेफड़े के साथ-साथ यकृत जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और परिणामी सदमा था।

इसलिए, यह कहना असंभव है कि छाती पर चोट जिसके परिणामस्वरूप 5 पसलियों का फ्रैक्चर और दाहिने फेफड़े का टूटना आकस्मिक या अनजाने में हुआ था। इसलिए, तीसरा तत्व भी स्थापित किया गया

था। एक बार जब अभियोजन पक्ष धारा 300 में "तीसरी" के हिस्से के रूप में तीन घटकों के अस्तित्व को स्थापित करता है, तो यह अप्रासंगिक है कि क्या [2021] 11 एस. सी. आर. पर कोई इरादा था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त का भाग मृत्यु का कारण बनता है। हत्या करने के इरादे का अभाव मामले के तथ्यों में प्रासंगिक नहीं है, पीडब्लू 3 द्वारा मृतक के चेहरे पर पाई गई चोटें जो पूर्व शव परीक्षण चोटें नहीं थीं, यह स्थापित करती हैं कि मृतक के शरीर को फेंकने से पहले एक नहर में, आरोपी ने उसका चेहरा पूरी तरह से तोड़ दिया था। यह तथ्य कि मृतक की हत्या के बाद आरोपी एक आम रिश्तेदार के पास गया था, आरोपी के लिए कोई सहायक नहीं होगा। उच्च न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण कि धारा 300 के तहत अपराध नहीं बनाया गया था, एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है जो रिकॉर्ड पर साक्षय के आधार पर लिया जा सकता था। सत्र न्यायालय के फैसले और आदेश को बहाल करना होगा। [पारस 17,18,20,

21] [965 - डी-एच; 966-ए, बी, ई-जी]

मामला कानून संदर्भ

[1958] एससीआर 1495

पर भरोसा किया।

पैरा 16

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1519 2021 से।

उच्च न्यायालय के 18.07.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की डी. बी. आपराधिक अपील सं. 886 में जोधपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका।

मनीष के. बिश्नोई, सुश्री पल्लवी सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जी. पी. कैप्टन। करण सिंह भाटी,

सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, मानवेंद्र सिंह राठौर, दशरथ सिंह राठौर, आदित्य चौहान, अर्पित प्रकाश, मिलिंद कुमार, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे. छुट्टी दे दी गई।

वास्तविक पहलू

1. प्रत्यर्थी सं। 1 5 अभियुक्त हैं जिन पर मुकदमा चलाया गया था

भारतीय दंड संहिता की धारा 147,364,302/149,201 और 323/149 (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए।

2. सत्र न्यायालय ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया। 1 5 तक (द

अभियुक्त) उपरोक्त सभी अपराधों के लिए। हुनका सभ कैं अपराधक लेल आजीवन कारावासक सजा देल गेल छल, जे विनड कुमार बनाम धारा 302 क अन्तर्गत दण्डनीय छल।

अमृतपाल @छोटू और हमारा। [अभय एस. ओकेए, जे.]

थोपा गया। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, अभियुक्तों को निर्देश दिया गया था - प्रत्येक को Rs.10,000/- का जुर्माना दें। उन्हें अन्य अपराधों के लिए जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था। जुर्माने की राशि में से Rs.70,000/- की राशि मृतक की विधवा को देने का निर्देश दिया गया था।

3. सत्र न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की

राजस्थान। अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, 18 जुलाई 2016 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा

आई. पी. सी. की धारा 147,364,201 और 329/149 के तहत दंडनीय, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराना।

आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दंडनीय अपराध में लाया गया और अभियुक्तों को कठोर दंड की सजा सुनाई गई। 8 साल की कैद। जुर्माने की राशि में कोई खलल नहीं पड़ा।

4. अपीलार्थी, जो पहला सूचना देने वाला है, ने उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश पर आपत्ति जताई है। वह भाई है।

अपराध का शिकार विजय सिंह (पीडब्लू1)। अभियुक्त पर बलवीर सिंह की हत्या करने का भी आरोप है। इस घटना में विजय सिंह (पीडब्लू1) घायल हो गए।

5. विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विद्वान वकील ने अपील पर बहस करते हुए चुनौती दी थी केवल आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि। घटना और घटना में अभियुक्त की भागीदारी को चुनौती दिए बिना अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के खिलाफ स्थापित अपराध आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय था। अभियुक्त ने अन्य अपराधों के लिए दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी।

प्रस्तुतियाँ

6. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मनीष के. बिश्नोई ने हमें उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश के बारे में बताया है। उनका निवेदन है कि मृतक के व्यक्ति पर चोटें उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं। उन्होंने बताया कि मृतक की छठी से दसवीं पसलियां टूटी हुई पाई गईं और दाहिना फेफड़ा टूट गया था। इसके अलावा, उनके लीवर में चोट लगी थी। उन्होंने मेडिकल बोर्ड की राय की ओर इशारा किया कि दाहिने फेफड़े और यकृत जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों में चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा हुआ, जो [2021] 11 एस. सी. आर. का कारण था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृत्यु। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय गलत आधार पर आगे बढ़ा कि मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कोई चोट नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवादों में से कोई भी लागू नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के शव को नहर में फेंकने से पहले आरोपी ने उसका चेहरा पूरी तरह से तोड़ दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आई. पी. सी. की धारा 300 में "तीसरा" लागू था। राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने अपीलार्थी का समर्थन किया।

7. जी. पी. कैप्टन। अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील करण सिंह भाटी ने बताया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि

मृतक पर हमला करने के लिए लोहे की छड़ और डंडों जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि पीडब्लू1 विजय सिंह ने भी अपनी जांच में इस आशय का बयान नहीं दिया है

इन-चीफ। उन्होंने कहा कि मृतक पर हमला करने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि मृतक बलवीर सिंह को मारने का आरोपी का कोई इरादा नहीं था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि आरोपी बलवीर सिंह को डॉक्टर के पास ले गया था। इसके अलावा, आरोपी पीडब्लू1 विजय सिंह को एक आम रिश्तेदार के पास ले गए और उन्होंने आम रिश्तेदार के घर चाय पी। इसलिए, वह

प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा सही दृष्टिकोण लिया गया है कि गैर-इरादतन हत्या के रूप में गैर-इरादतन हत्या की धारा 242 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया था।

8. प्रस्तुतियों से निपटने से पहले, हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि जब 11 नवंबर 2021 को याचिका पर सुनवाई हुई, तो हमने पाया कि

उच्च न्यायालय के समक्ष, अभियुक्तों ने घटना में अपनी भागीदारी को चुनौती नहीं दी थी और प्रस्तुतियाँ धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध को कम करने तक सीमित थीं। इसलिए, हमने अभियुक्त उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील से यह पता लगाने के लिए एक प्रश्न किया कि क्या उत्तरदाता-अभियुक्त बहस करना चाहते हैं।

बरी किए जाने के गुणों पर। 16 नवंबर 2021 को विद्वान वकील जीपी। कैप्टन। करण सिंह भाटी ने निर्देश पर कहा कि आरोपी वही रुख अपनाना चाहता है जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था।

प्रस्तुतियों का समावेश

9. हालाँकि घटना को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है, लेकिन पूरा करने के लिए, हम अभियोजन पक्ष के मामले का उल्लेख कर रहे हैं जो कर सकता है

घायल गवाह विजय सिंह (पीडब्लू1) के बयान से एकत्र किया जाए। 5 अक्टूबर 2005 को पीडब्लू1 मृतक बलवीर सिंह के साथ हनुमानगढ़ गया था। शाम को, उन्होंने अपने गाँव शेरेकन लौटने के लिए ट्रेन ली। जब वे रेलवे स्टेशन से अपने घर की ओर चल रहे थे, तो उन्होंने पाया कि आरोपी नं। 1 , 2 , 3 और 5 विनॉड कुमार बनाम थे।

अमृतपाल @छोटू और हमारा। [अभय एस. ओकेए, जे.]

रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़े होकर वे मृतक बलवीर सिंह और पीडब्लू1 के साथ चलने लगे। रास्ते में एक टाटा सूमो वाहन खड़ा था जिसमें आरोपी नं. 4 बैठा हुआ था। आरोपी नं. 4 विजय सिंह के बाल खींचे और आरोपी नं। 5 उसे गाड़ी में धकेल दिया। अभियुक्त नं. 1 3 ने बलवीर सिंह को उक्त वाहन में धकेल दिया। इसके बाद वाहन हनुमानगढ़ की ओर बढ़ा। अभियुक्त नं. 2 और 3 ने क्रमशः बलवीर सिंह और पीडब्लू1 के मुँह पर हाथ रखे थे। वाहन में, आरोपी नं। 4 और 5 ने मृतक और पीडब्लू1 को पीटना शुरू कर दिया। वाहन को हनुमानगढ़ ले जाया गया। वाहन साईम नाले के पास पहुँचा। इसके बाद, वाहन को एक अधूरे रास्ते पर ले जाया गया और एक खुले मैदान में रोक दिया गया। वाहन के रुकने के बाद, अभियुक्तों ने बलवीर सिंह के फ्लैट को जमीन पर गिरा दिया और उन्होंने बलवीर सिंह पर हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी नं. 1 पीडब्लू1 के मुँह पर हाथ रखा था और आरोपी नं। 5 उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। पीडब्लू1 ने भीख माँगी

उस पर ईंटें जोड़कर नहर। आरोपी पी. डब्ल्यू. 1 के साथ एक कंवर सैन के आवास पर चला गया जो पक्षों से संबंधित था। चूंकि उक्त रिश्तेदार को घटना के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने उन्हें चाय दी। अभियुक्त द्वारा घटना का खुलासा करने के बाद, उक्त रिश्तेदार ने उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए कहा। 10. अभियुक्त ने पीडब्लू1 को धमकी दी थी कि वह इस घटना का खुलासा किसी को न करे। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह घटना का खुलासा करता है, तो वह करेगा

वही भाग्य भुगतना पड़ता है जो मृतक को भुगतना पड़ा था। जब वे

कंवर सैन के स्थान को छोड़ दिया, आरोपी नं। 1 गाड़ी में 3 लोग थे। रास्ते में, आरोपी नं। 2 और 3 एक बस में सवार हुए और आरोपी नं। 1 पीडब्लू1 को हनुमानगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

पीडब्लू1 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद, पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की और पीडब्लू1 के हस्ताक्षर लिए गए।

11. शरीर पर पाई गई चोटों को नोट करना आवश्यक है

मृतक। डॉ. जसपाल बडप्पा, पीडब्लू 3 ने अपदस्थ किया कि एक मेडिकल बोर्ड था जिसमें उनके और डॉ. बृजेश गौर शामिल थे, जो हनुमानगढ़ शहर के एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। दोनों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। यह आवश्यक है।

पीडब्लू3 डॉ. यशपाल बडप्पा के बयान के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना। उन्होंने मृतक के व्यक्ति पर लगी चोटों का वर्णन इस प्रकार किया:

" 1. दाएँ कूल्हे के निचले हिस्से से लेकर दाएँ जांघ के पीछे और सामने की ओर और दाएँ पैर के पीछे और बगल के हिस्से के 3/4 भाग पर कई नीले रंग के चोट के निशान थे।

2. बाएँ कूल्हे के निचले हिस्से से लेकर बाएँ जांघ के पीछे और सामने की ओर कई नीले रंग के चोट के निशान थे और बाएँ पैर और त्वचा के पीछे और अंदर के हिस्से के 3/4 भाग पर चोट के निशान थे।

टूट भी गया। 3. बाईं जांघ और त्वचा के सामने की ओर कई नीले रंग के चोट के निशान थे, कई हिस्सों पर भी टूट गए थे।

4. छाती के आधे निचले हिस्से में और कमर के साथ पीछे की ओर भी कई नीले रंग के चोट के निशान थे।

5. एक घायल कट था जो गर्दन के दोनों तरफ के स्टर्नल नॉच से होते हुए कान के पिछले हिस्से के मास्टॉइड हिस्से तक जाता था। गर्दन, भोजन नली और फेफड़ों की मांसपेशियां भी टूट गई थीं।

दोनों धमनियाँ, नसें और कान और मांसपेशियाँ टूट गई थीं और अस्थायी हड्डी, सामने की हड्डी और माथे के हिस्सों पर, हड्डियों की दृश्यता की सीमा तक त्वचा टूट गई थी। ऊपरी और निचले जबड़े, नाक और चेहरे की हड्डियां दिखाई दे रही थीं क्योंकि यह त्वचा से ढकी नहीं थी। गर्दन का पिछला हिस्सा त्वचा के एक टुकड़े से जुड़ा होता है और गर्दन की ग्रीवा की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

6. 2 x 1 इंच मापने वाले दानेदार घाव और हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं।

बाईं हथेली पर।

7. मांसपेशियों की गहराई में 1.1/2 X1/2 इंच एक्स मापने वाले क्षतिग्रस्त घाव, बाईं हथेली के हिस्से में आंतरिक भाग की हड्डियां दिखाई देती हैं।
8. बाएं पैर के बगल के हिस्से में 1 X 1/4 इंच X गहरे घाव को मापने वाला क्षतिग्रस्त घाव।

9. बाईं ओर के पृष्ठीय भाग पर निशान के कई निशान थे। हाथ।

सिर और गले की आंतरिक जांच के दौरान

सिर पर बाल थे, टूटा हुआ घाव स्टर्नल पायदान से चल रहा था

गर्दन के दोनों तरफ दिखाई दे रहे थे और नसें, धमनियां टूट गई थीं,

विंडपाइप, खाद्य नली, और आगे और पीछे की ओर से जाने वाली मांसपेशियाँ कान के पीछे की ओर के मास्टॉइड भाग के साथ जहाँ हड्डी

चकत्तेदार त्वचा के कारण देखा जा सकता है। सामने की हड्डी, अस्थायी हड्डी, चेहरा, ऊपरी जबड़ा, नाक की हड्डी और जबड़े की अनिवार्य हड्डी स्पष्ट हैं।

गर्दन की ग्रीवा हड्डियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और पीछे की ओर गर्दन त्वचा के एक टुकड़े से जुड़ी होती है। मस्तिष्क और उसका

झिल्ली स्वस्थ अवस्था में होती है।

छाती के परीक्षण के दौरान, हेमटोमा पाया गया था

घायल हिस्से की मांसपेशियाँ और दाईं ओर से छठी से दसवीं हड्डी

एक तरफ फ्रैक्चर और दाहिने फेफड़े के कई हिस्से इसके साथ पाए गए झिल्ली भी टूट गई थी। हवा की नली और भोजन की नली थी

टूट गया और दिल के दोनों तरफ के कक्ष खाली थे।

पेट की जांच के दौरान खून का थक्का पाया गया।

पेट और यकृत में टूटने का निशान था 1 /

2 इंच X 1/2 इंच X 1/2 इंच।

जननांगों की जाँच के दौरान, अंडकोष सूजे हुए थे

स्थिति और लिंग को चोट नहीं लगी थी।

जाँच के दौरान, चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी

हड्डियों के रूप में मृत दिखाई दे रहे थे और भोजन पाइप और विंड पाइप थे

टूट गया "।

(रेखांकितियाँ जोड़ी गईं)

12. उन्होंने पदच्युत किया कि बोर्ड के अनुसार, मृत्यु का कारण

फेफड़ों और यकृत जैसे महत्वपूर्ण भागों पर चोटें लगी थीं जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा लगा था। गवाह ने कहा कि चोटें

मद सं। 5 पूर्व मृत्यु नहीं हुई थी।

13. पीडब्लू3 Dr.Jaspal बदप्पा से अधिवक्ता ने जिरह की

अभियुक्त के लिए। उन्हें एक सुझाव दिया गया था कि आइटम संख्या में चोटें। 1 4 तक किसी वाहन के साथ मिलीभगत के कारण हो सकते हैं। उन्होंने उक्त सुझाव की शुद्धता से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पसलियों के फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है यदि आंतरिक क्षति होती है।

अंग।

14. हालाँकि, पीडब्लू1 ने विशेष रूप से यह नहीं कहा है कि मृतक को लोहे की छड़ या छड़ी का उपयोग करके चोटें लगी थीं, लेकिन ऐसा नहीं है

15. अब केवल एक ही सवाल तय किया जाना है कि क्या गैर इरादतन हत्या के अपराध को हत्या के बराबर नहीं माना जाता है। में विवादित निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आगे बढ़ाया है कि मृतक को लगी चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं और इसलिए, आरोपी की ओर से मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपी मृतक को डॉक्टर के पास ले गया, यह भी दर्शाता है कि आरोपी का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था।

16. गैर इरादतन हत्या के अपराध को आई. पी. सी. की धारा 299 के तहत परिभाषित किया गया है। दण्डनीय नरहत्या जीनस है और आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत परिभाषित हत्या का अपराध इसकी प्रजाति है।

आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 इस प्रकार है:

" 299. निंदनीय हत्या। - जो कोई भी मृत्यु के इरादे से कोई कार्य करके या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से मृत्यु का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या इस ज्ञान के साथ कि वह इस तरह के कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है, वह गैर-इरादतन हत्या का अपराध करता है।

300. हत्या। - इसके बाद के मामलों को छोड़कर, गैर-इरादतन हत्या हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु के इरादे से किया गया है, या -

दूसरा-यदि यह ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है जो अपराधी को पता है कि मृत्यु का कारण बनने की संभावना है

जिस व्यक्ति को हानि पहुँचाई गई है, या - तीसरा-यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है और शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है।

प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, या - चौथा-यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह, सभी संभावनाओं में, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और मृत्यु का जोखिम पैदा करने के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है।

या ऐसी चोट जैसा कि ऊपर कहा गया है।

अपवाद 1. - जब गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं है।

दोषी हत्या हत्या नहीं है यदि अपराधी, जबकि वंचित विनोद कुमार बनाम।

अमृतपाल @छोटू और हमारा। [अभय एस. ओकेए, जे.]

गंभीर और अचानक उकसावे से आत्म-नियंत्रण की शक्ति, उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है जिसने उकसावा या कारण दिए गलती या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु।

उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन है: सबसे पहले। कि उकसावे की मांग या स्वेच्छा से नहीं की गई है

अपराधी द्वारा हत्या या नुकसान पहुँचाने के बहाने के रूप में उकसाया गया

कोई भी व्यक्ति।

दूसरा। कि उकसावा किसी भी चीज़ द्वारा नहीं दिया जाता है

कानून के पालन में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के वैध प्रयोग में किया गया।

तीसरी बात। कि उकसावा कुछ भी किए जाने से नहीं दिया जाता है

निजी रक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में।

स्पष्टीकरण। क्या उकसावा गंभीर था और

अपराध को हत्या के बराबर होने से रोकने के लिए अचानक पर्याप्त तथ्य का सवाल है।

व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का सद्भावना से प्रयोग, कानून और कारणों द्वारा उसे दी गई शक्ति से अधिक है। उस व्यक्ति की मृत्यु जिसके विरुद्ध वह पूर्वकल्पना के बिना और ऐसे बचाव के उद्देश्य से आवश्यक से अधिक नुकसान करने के किसी भी इरादे के बिना रक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

अपवाद 3. - दण्डनीय हत्या हत्या नहीं है यदि अपराधी, एक लोक सेवक होने के नाते या लोक न्याय की उन्नति के लिए कार्य करने वाले लोक सेवक की सहायता करने के नाते, उसे दी गई शक्तियों से अधिक है। कानून द्वारा, और एक ऐसा कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है जिसे वह सद्भावना से, ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए वैध और आवश्यक मानता है।

व्यक्ति

जिसकी मौत हुई है। अपवाद 4. - दोषी हत्या हत्या नहीं है अगर यह किया गया है

आवेग की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना और अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना।

स्पष्टीकरण। ऐसे मामलों में यह मायने नहीं रखता कि कौन सा पक्ष

उकसाने की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपवाद 5. - जब व्यक्ति दोषी होता है तो वह हत्या नहीं होती है जिनकी मृत्यु अठारह वर्ष की आयु से अधिक होने के कारण हुई है,

मृत्यु का शिकार होता है या अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है।

(आपूर्ति को रेखांकित करें)

अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले में,

गैर इरादतन हत्या को हत्या नहीं माना जाता है। जाहिर है कि इस मामले में, धारा 300 के अपवादों में से कोई भी लागू नहीं होता है। जिस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए वह यह है कि क्या मामले को धारा 300 में "तीसरी बार" शामिल किया जाएगा। इस पहलू पर, हम विरसा सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देंगे। राज्य का

पंजाब 1 जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

उक्त निर्णय के अनुच्छेद 12 और 13 जो लोकस हैं।

क्लासिकस इस प्रकार पढ़ता है: -

" 12. इसे जल्दी से कहने के लिए, अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित साबित करना होगा:

उससे पहले के तथ्य धारा 300 के तहत मामला ला सकते हैं, "तीसरा";

सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि एक शारीरिक चोट

मौजूद है;

दूसरा, चोट की प्रकृति को साबित किया जाना चाहिए;

ये विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ जांच हैं।

तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि एक इरादा था

उस विशेष शारीरिक चोट को पहुँचाना, अर्थात, कि यह नहीं था

आकस्मिक या अनजाने में, या कि किसी अन्य प्रकार की चोट थी इरादा था।

एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो

जाँच आगे बढ़ती है और,

चौथा, यह साबित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की चोट सही है।

ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बना वर्णन पर्याप्त है।

प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनना। इस भाग में जाँच विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ और अनुमानित है और इसका कोई लेना-देना नहीं है

अपराधी के इरादे से।

13. एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा इन चार तत्वों को स्थापित किया जाता है

(और, निश्चित रूप से, बोझ अभियोजन पक्ष पर है)

अपराध धारा 300 के तहत हत्या है, "तीसरा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि

1 एयर 1958 एससी 465 = 1958 एससीआर 1495 वीनॉड कुमार बनाम।

अमृतपाल @छोटू और हमारा। [अभय एस. ओकेए, जे.]

हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह की चोट पहुँचाने का भी कोई इरादा नहीं था

प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त (ऐसा नहीं है कि

दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर है)। यह भी नहीं है

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह का कोई कार्य नहीं होगा

मृत्यु होने की संभावना है। एक बार शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा

वास्तव में उपस्थित पाया जाना साबित हो जाता है, बाकी जांच है

विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण और एकमात्र सवाल यह है कि क्या

विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ अनुमान, चोट सामान्य में पर्याप्त है प्रकृति का मार्ग मृत्यु का कारण बनता है। किसी के पास चलाने का लाइसेंस नहीं है।

प्रकृति का सामान्य पाठ्यक्रम और दावा करते हैं कि वे दोषी नहीं हैं हत्या। यदि वे इस तरह की चोटें पहुंचाते हैं, तो उन्हें इसका सामना करना होगा

परिणाम; और वे केवल तभी बच सकते हैं जब इसे दिखाया जा सके, या उचित रूप से अनुमान लगाया गया कि चोट आकस्मिक या अन्यथा थी

अनजाने में "।

(आपूर्ति को रेखांकित करें)

17. पैराग्राफ 12 में निर्धारित पहले दो तत्व हैं -

इस मामले में शारीरिक चोटों के तथ्य और इसकी प्रकृति को विधिवत स्थापित किया गया है। सवाल यह है कि क्या विशेष शारीरिक चोटों को पहुँचाने के इरादे का तीसरा तत्व मौजूद था। जैसा कि पीडब्लू2 द्वारा बताया गया है, उन्हें मृतक बलवीर सिंह के साथ जबरन एक वाहन में ले जाया गया था। जब गाड़ी अधूरे रास्ते पर पहुंची तो उसे रोक दिया गया।

इसके बाद आरोपी ने मृतक बलवीर सिंह के फ्लैट को जमीन पर गिरा दिया। जबकि आरोपी नं. 1 आरोपी बलवीर सिंह को पकड़ लिया गया था। 4 और 5 ने मृतक बलवीर सिंह पर हमला करना शुरू कर दिया। बलवीर सिंह के विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार उसे वाहन से बाहर निकाल लिया गया। और जमीन पर लेटने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। गैर-महत्वपूर्ण भागों पर चोटों के अलावा, दाहिनी ओर 6 वीं से 10 वीं पसलियों का फ्रैक्चर था और दाहिना फेफड़ा टूट गया था।

यहां तक कि हवा की नली और खाने की नली भी टूट गई थी। लीवर में चोट लगी थी। बोर्ड द्वारा प्रमाणित मृत्यु का कारण दाहिने फेफड़े के साथ-साथ यकृत जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और परिणामी सदमा था। पीडब्लू2 के कथन के अनुसार, अभियुक्तों में से एक ने मृतक बलवीर सिंह को पकड़ लिया जो जमीन पर सपाट पड़ा हुआ था और कम से कम तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर हमला किया। इसलिए, यह कहना असंभव है कि छाती पर चोट जिसके परिणामस्वरूप 5 पसलियाँ टूट गईं और दाहिनी पसलियाँ टूट गईं फेफड़े आकस्मिक या गैर-इरादतन थे। इसलिए, तीसरा तत्व भी [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. एक बार जब अभियोजन पक्ष धारा 300 में "तीसरी" का एक हिस्सा बनाने वाले तीन तत्वों के अस्तित्व को स्थापित कर लेता है, तो यह अप्रासंगिक है। क्या अभियुक्त की ओर से मृत्यु का

कारण बनने का कोई इरादा था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विरसा सिंह (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी चोट पहुँचाने का भी कोई इरादा नहीं था जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। यहां तक कि यह ज्ञान कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, "तीसरा" आकर्षित करने के लिए आवश्यक नहीं है। अतः, यह इस प्रकार है कि इस मामले में धारा 300 का खंड "तीसरा" लागू होगा।

19. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय ने एकमात्र तर्क को स्वीकार करने का एक आसान तरीका अपनाया है कि

अपराध गैर इरादतन हत्या थी जो हत्या के बराबर नहीं थी। जैसा कि पहले देखा गया था, उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटें थीं। उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि धारा 300 में "तीसरी" के सभी तत्व स्थापित किए गए थे।

20. यह तर्क दिया गया कि आरोपी मृतक को डॉक्टर के पास ले गया जो उसे मारने के इरादे के अभाव को दर्शाता है। तथ्य के अलावा

कि ऊपर दर्ज कारणों से, हत्या करने के इरादे का अभाव मामले के तथ्यों में प्रासंगिक नहीं है, पीडब्लू 3 द्वारा मृतक के चेहरे पर पाई गई चोटें जो पूर्व-शव परीक्षण चोटें नहीं थीं, यह स्थापित करती हैं कि मृतक के शरीर को नहर में फेंकने से पहले, आरोपी द्वारा उसका चेहरा पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। यह तथ्य कि मृतक बलवीर सिंह की हत्या के बाद आरोपी एक आम रिश्तेदार के पास गया था, आरोपी के लिए कोई मददगार नहीं होगा।

21. विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि धारा 300 के तहत अपराध नहीं बनाया गया था, एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है जो रिकॉर्ड पर साक्षय के आधार पर लिया जा सकता था। जैसा कि हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 को लागू करके एक बड़ी गलती की है, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार करना होगा और सत्र न्यायालय के निर्णय और आदेश को बहाल करना होगा।

22. हम मानते हैं कि विद्वत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने विनय कुमार बनाम के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में सही था।

अमृतपाल @छोटू और हमारा। [अभय एस. ओकेए, जे.]

आई. पी. सी. की धारा 302/149। तदनुसार, 18 जुलाई 2016 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करके अपील की अनुमति दी जाती है। हम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 1 हनुमानगढ़, राजस्थान द्वारा पारित सत्र मामले में 26 सितंबर 2011 के निर्णय और आदेश को बहाल करते हैं। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई मूल सजा और जुर्माना बहाल किया जाता है। 23. हम अभियुक्त

को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। यदि वे आज से छह सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार करने के लिए निचली अदालत द्वारा कार्रवाई की जाए। वे शेष अवधि से गुजरेंगे

26 सितंबर 2011 के निचली अदालत के फैसले के संदर्भ में सजा। देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई।